निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

"सहायक लेखाधिकारियों की मासिक बैठक दिनांक 19/02/2010 का कार्यवाही विवरण"

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर के अधीन कार्यालय संयुक्त निदेशक जोन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारियों/लेखाकर्मियों की मासिक बैठक दिनांक 19/02/10 को वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में निदेशालय सभागार में आयोजित की गई। उपस्थित अधिकारियों/कार्मिकों की सूची परिशिष्ट "अ" 'पर संलग्न है। जिन सहायक लेखाधिकारियों द्वारा बैठक में भाग नहीं लिया उनको कारण बताओ नोटिस वरिष्ठ लेखाधिकारी (अंकेक्षण) द्वारा जारी किया जायेगा। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श पश्चात् निर्णय लिये गये :–

क्र. सं.	बिन्दू जिस पर चर्चा हुई	निर्णय लिया गया	अनुपालना जिसके द्वारा की जानी है
1.	निर्धारित प्रपत्र 1 से 8 की सूचना व व्यय मानचित्र, व भुगतान बजट प्रावधान बाबत	गत कई बैठकों में निरन्तर निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी/लेखाकर्मी प्रपत्र 1 से 8 की सूचनाएं हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कापी में तैयार कर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक सम्बन्धित जोन कार्यालयों में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में जोन कार्यालयों में प्रदस्थापित सहायक लेखाधिकारियों द्वारा भी उक्त सूचना अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त करने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही/ व्यवस्था नहीं की जा रही है। इस प्रकार अधीनस्थ कार्यालयों से सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त सूचना मुख्यालय को समय से प्राप्त नहीं हो रही है। वित्तीय सलाहकार ने उक्त स्थिति को गंभीरता से लेते हुए विभाग के सहायक लेखाधिकारियों/लेखाकर्मियों द्वारा मुख्यालय के निर्देशों को गम्भीरता से नहीं लिये जाने पर खेद प्रकट किया तथा निर्देशित किया कि माह मार्च, 2010 तक सम्बन्धित लेखाकर्मियों द्वारा सूचना समय पर प्रस्तुत करने/प्राप्त करने की पुख्ता व्यवस्था कर ली जावे तथा माह अप्रेल 2010 से उक्त सूचना निर्धारित प्रपत्रों में निर्धारित समय पर संयुक्त निदेशक कार्यालय एवं तत्पश्चात् मुख्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिए। सूचना प्रस्तुत करने में किसी तरह के विलम्ब पर सम्बन्धित लेखाकर्मी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होंगी।	समस्त संयुक्त निदशेक एवं सहायक लेखाधिकारी जोन व समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एवं सहायक लेखाधिकारी कार्यालय।
2.	अनुपयोगी/बेसी वाहनों एवं सामानों के सर्वे एवं निस्तारण संबंधी सूचना बाबत	माह जनवरी 2010 तक जयपुर जोन में 02 वाहनों का सर्वे बकाया था, सर्वेशुदा 10 वाहनों में से 3 अनुपयोगी घोषित होना शेष हैं। अब तक कुल 7 वाहन निस्तारित किये जा चुके हैं। सहायक लेखाधिकारी, जयपुर जोन को निर्देशित किया गया कि शेष 2 वाहनों का दिनांक 05/03/2010 तक सर्वे कराया जावें तथा 3 अन्य सर्वेशुदा वाहन जो अनुपयोगी घोषित होना शेष है को शीघ्र अनुपयोगी घोषित कराया जाकर दिनांक 20/03/2010 तक समस्त 5 बकाया वाहनों की नीलामी/निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जावें।	सहायक लेखाधिकारी, संयुक्त निदेशक जोन जयपुर, सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी, मु.चि. एवं स्वा.अ., से समन्वय कर कार्यवाही करायेंगे।
		अजमेर जोन में कुल 57 ऑफ रोड़ वाहनों में से 7 सर्वेशुदा वाहन को नाकारा घोषित किया जाना शेष है।शेष 50 वाहनों का निस्तारण किया जा चुका है। वित्तीय सलाहकार द्वारा	स.ले., एवं संयुक्त निदेशक जोन अजमेर संबंधित मु.चि.एवं स्वा.

		अजमेर ज़ोन में वाहनों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्राप्त प्रगति की प्रशंसा करते हुए सहायक लेखाधिकारी, अजमेर ज़ोन को निर्देशित किया कि वे वरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑडिट) से व्यक्तिगत सम्पर्क रखते हुए शेष 7 वाहनों को शीघ्र नाकारा घोषित करावें।	अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे।
		भरतपुर ज़ोन में कुल 53 ऑफ रोड़ वाहनों में से 38 वाहनों का सर्वे कराया जाकर 22 वाहन नाकारा घोषित किये जा चुके हैं तथा इन 22 वाहनों का निस्तारण किया जा चुका है। वित्तीय सलाहकार द्वारा निर्देशित किया गया कि 16 अन्य सर्वेशुदा वाहनों को शीघ्र नाकारा घोषित कराया जाकर निस्तारण किया जावे तथा सर्वे हेतु बकाया 15 वाहनों के सम्बन्ध में वरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑडिट) से मार्गदर्शन लिया जाकर दिनांक 05/03/2010 तक सर्वे पूर्ण करवाया जाकर नाकारा घोषित करवाया जावे एवं निस्तारण हेतु बकाया शेष 31 वाहनों की निलामी/निस्तारण दिनांक 20/03/2010 तक सुनिश्चित की जावें।	स.ले. एवं संयुक्त निदेशक ज़ोन भरतपुर संबंधित मु.चि.एवं स्वा. अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे।
		जोधपुर ज़ोन में कुल 110 ऑफ रोड़ वाहनों में से अब तक मात्र 30 वाहनों का निस्तारण किया गया है। वित्तीय सलाहकार द्वारा इस स्थिति को खेदजनक बताते हुए सहायक लेखाधिकारी, ज़ोन ज़ोधपुर को निर्देशित किया कि वे व्यक्तिगत रूचि लेकर समस्त 80 बकाया वाहनों का दिनांक 20/03/2010 तक निस्तारण की कार्यवाही करावें। कुल 80 बकाया वाहनों में से 50 वाहनों का सर्वे बकाया है तथा 15 सर्वेशुदा वाहनों को नाकारा घोषित किया ज़ाना शेष हैं। इसी प्रकार 15 नाकारा घोषित वाहनों की नीलामी किया जाना शेष है।	सहा. लेखा. कार्या. मु. चि.एवं स्व.अधि. ज़ोधपुर कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे।
		बीकानेर जोन में कुल 44 ऑफ रोड़ वाहनों में से 40 का सर्वे हो चुका है तथा 4 वाहन सर्वे हेतु बकाया है। सर्वे शुदा 40 वाहनों में से 29 वाहनों को नाकारा धोषित किया जा चुका है परन्तु 29 वाहनों में से अब तक मात्र 20 वाहन ही निस्तारित किये गये है तथा शेष 9 का निस्तारण किया जाना बाकी है। इसी प्रकार सर्वे शुदा 40 वाहनों में से 11 वाहनों को अनुपयोगी घोषित किया जाना शेष है। वित्तीय सलाहकार द्वारा सहायक लेखाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर को निर्देशित किया कि वे व्यक्तिगत रूचि लेकर सहायक लेखाधिकारी, संयुक्त निदेशक जोन बीकानेर से समन्वय करके 24 बकाया वाहनों का दिनांक 20/03/2010 तक निस्तारण की कार्यवाही करावें।	सहा. लेखा. कार्यालय मु.चि. एवं स्वा. अधि. एवं संयुक्त निदेशक जोन बीकानेर संबंधित मु.चि.एवं स्वा.अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे।
		उदयपुर जोन में वाहनों के निस्तारण के सम्बन्ध में अब तक प्राप्त प्रगति अत्याधिक निराशाजनक है। कुल ऑफ रोड़ 79 वाहनों में से मात्र 55 वाहनों का सर्वे हुआ है तथा उक्त 55 वाहनों में से मात्र 31 वाहन अनुपयोगी घोषित किये गये हैं। उक्त अनुपयोगी घोषित वाहनों में से भी मात्र 15 वाहन का निस्तारण किया गया है। वित्तीय सलाहकार ने उक्त स्थिति पर अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए सहायक लेखाधिकारी, जोन उदयपुर को निर्देशित किया कि दिनांक 05/03/2010 तक सर्वे हेतु बकाया 24 वाहनों का सर्वे एवं नाकारा घोषित करने की कार्यवाही तथा सर्वे शुदा 24	स.ले., कार्यालय संयुक्त निदेशक जोन उदयपुर संबंधित मु.चि.एवं स्वा. अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे।

		वाहनों को नाकारा घोषित करने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जावे। तत्पश्चात् समस्त नाकारा घोषित वाहनों की 20/03/2010 तक निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।	
		कोटा जोन के सहायक लेखाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए तथा ना ही उनके द्वारा बैठक से सम्बन्धित सूचना प्रेषित कराई गयी। वित्तीय सलाहकार द्वारा इस प्रकार की उदासीनता को अत्यन्त खेदजनक मानते हुए सहायक लेखाधिकारी, जोन कोटा द्वारा समय पर सूचना प्रस्तुत नहीं करने तथा बैठक में उपस्थित न होने की पूर्वानुमति नहीं लिये जाने के सम्बन्ध में उनका स्पष्टीकरण लिये जाने हेतु निर्देशित किया।	सहायक लेखाधिकारी कार्या. संयुक्त निदेशक जोन कोटा संबंधित मु. चि.एवं स्वा.अधि. से समन्वय कर कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे।
		नकारा/अप्रचलित/सरप्लस स्टोर्स के सम्बन्ध में समस्त सहायक लेखाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों के स्टोर्स के सम्बन्ध में कार्यालयवार समीक्षा कर प्रगति प्राप्त करें। संयुक्त निदेशक कार्यालयों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों के स्टोर्स के सम्बन्ध में विशेष रूप से ध्यान दे, इसी प्रकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी उनके अधीनस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नाकारा सामान के निस्तारण पर विशेष ध्यान देवें। आगामी बैठक में समस्त सहायक लेखाधिकारी उनके अधीनस्थ कार्यालयों की पूर्ण सूची उपलब्ध करायेंगे जिसमें उन कार्यालयों का भी विवरण अंकित होगा जिनमें अभी तक इस प्रकार स्टोर्स की निलामी की कार्यवाही नहीं की गई है।	
		नाकारा वाहनों के निस्तारण के सम्बन्ध में वित्तीय सलाहकार द्वारा सभी सहायक लेखाधिकारीयों को निर्देशित किया कि राज्य सरकार द्वारा नाकारा वाहनों/ स्टोर्स के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रदत्त शक्तियों में शिथिलीकरण दिनांक 31/03/2010 तक ही दिया हुआ है। अतः समस्त सम्बन्धित अधिकारियों का दायित्व है कि वे व्यक्तिगत रूचि लेकर चालू वित्तीय वर्ष में समस्त बकाया नाकारा वाहनों एवं नाकारा/सरप्लस स्टोर्स का निस्तारण करावें। इस प्रकार निस्तारण से न केवल कार्यालय में उपयोगी स्थान उपलब्ध होगा अपितु कार्यालय का वातावरण भी सुधरेगा एवं राज्य सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा। नाकारा वाहनों एवं स्टोर्स के सम्बन्ध में अधीनस्थ कार्यालयों के सम्बन्धित प्राधिकारियों से यह प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जावे कि उनके कार्यालय में कोई भी वाहन ऑफ रोड़ अथवा uneconomical नहीं है तथा इसी प्रकार नाकारा/सरप्लस/अप्रचलित स्टोर्स आईटम्स नहीं है।	
3.	भौतिक सत्यापन पत्र प्रमाण पत्र की सूचना बाबत	गत कई बैठकों में निरन्तर निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी वर्ष 2008–09 का भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जोन उदयपुर व जयपुर का प्राप्त होना बकाया है। वित्तीय सलाहकार ने इस प्रकार उपेक्षापूर्ण रवैये पर असंतोष प्रकट करते हुए अब दिनांक 15/03/2010 उक्त कार्यालयों द्वारा प्रमाण–पत्र भिजवाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया।	उदयपुर व जयपुर तथा सहा. लेखाधिकारी ज़ोन कार्या. संयुक्त निदेशक

4.	स्टोर एवं स्टॉक संबंधी प्रमाण पत्र की सूचना बाबत	गत कई बैठकों में निरन्तर निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी वर्ष 2008–09 का स्टोर एवं स्टॉक सम्बन्धी प्रमाण पत्र जोन जयपुर का प्राप्त होना बकाया है। वित्तीय सलाहकार ने इस प्रकार उपेक्षापूर्ण रवैये पर असंतोष प्रकट करते हुए अब दिनांक 15/03/2010 उक्त कार्यालय द्वारा प्रमाण–पत्र भिजवाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया।	सहायक लेखाधिकारी, जयपुर–प्रथम कार्या. मु. चि. एवं स्व. अधिकारी एवं, सहायक लेखाधिकारी कार्या. संयुक्त निदेशक जोन जयपुर
5.	चोरी गबन प्रकरण	विभाग में लम्बित चोरी, गबन मामलों की हाल ही में प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के स्तर पर राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक में समीक्षा की गई। उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुरूप वित्तीय सलाहकार द्वारा निर्देशित किया गया कि चोरी गबन के मामलों में शीघ्र वसूली की कार्यवाही की जावे जिन प्रकरणों में न्यायालयों द्वारा निर्णय दे दिया गया है अथवा विभागीय कार्यवाही निर्णित हो चुकी है तो ऐसे प्रकरणों में निर्णयानुसार शीघ्र कार्यवाही की जावें। जो प्रकरण न्यायालय में लम्बित है परन्तु कोर्ट द्वारा रिकवरी पर किसी तरह का स्टे नहीं दिया गया है उन प्रकरणों में तुरन्त वसूली की कार्यवाही की जावें। चोरी गबन के मामलों में प्रकरण की वस्तु स्थिति समय–समय पर निदेशालय को पूर्ण सूचनाएं एवं निर्धारित प्रपत्रों में प्रेषित की जावें।	समस्त स.ले. कार्यालय मु.चि. एवं स्वा.अधि., एवं समस्त स.ले, संयुक्त निदेशक (जोन)
6.	महालेखाकार अंकेक्षण प्रतिवेदन के बकाया आक्षेप, निदेशक, निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन एवं विशेष जांच प्रतिवेदन विभागीय आन्तरिक जांच प्रतिवेदन एवं विशेष जांच प्रतिवेदन	विभाग में विभिन्न प्रकार के अंकेक्षण मामलों के बकाया की गम्भीर स्थिति पर वित्तीय सलाहकार द्वारा अप्रसन्नता प्रकट की गई तथा समस्त सहायक लेखाधिकारियों को निर्देशित किया कि विभाग द्वारा हाल ही में जारी परिपत्र एवं वित्तीय सलाहकार द्वारा समस्त संयुक्त निदेशकों एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को लिखे गये अर्द्धशासकीय पत्रों के क्रम में दिनांक 15 फरवरी, 2010 से 10 मार्च, 2010 तक एक विशेष अभियान चलाया जाकर समस्त बकाया अंकेक्षण मामलों यथा महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन, विभागीय आन्तरिक जांच, निदेशक निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन एवं विशेष जांच प्रतिवेदन तथा विभागीय आन्तरिक विशेष जांच प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की समीक्षा की जाकर सम्बन्धित कार्यालयों से ठोस व सारगर्भित अनुपालनाएं प्राप्त की जावे। इस हेतु समस्त सहायक लेखाधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लिए इस अवधि में बैठकों का कार्यक्रम निर्धारित करें एवं उक्त बैठकों में अधिकाधिक अनुपालनाएं तैयार कराए एवं गम्भीर प्रकृति के अनुच्छेदों के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यालयों को समुचित कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन प्रदान करें। इस प्रकार अभियान अन्तर्गत प्राप्त अनुपालनाएं सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी मुख्यालय पर आयोजित होने वाली आगामी बैठक दिनांक 12 मार्च 2010 को अपने साथ लायेंगे तथा वित्तीय सलाहकार को प्रस्तुत करेंगे। वित्तीय सलाहकार द्वारा समस्त सहायक लेखाधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई कि अभियान के दौरान अपेक्षानुसार अनुपालनाएं प्राप्त नहीं करने अथवा कार्यक्रम में रूचि नहीं लेने वाले अधिकारियों के प्रति राज्य कार्य में उपेक्षा हेतु समुचित प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किये जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।	समस्त स.ले. कार्यालय मु.चि. एवं स्वा.अधि., एवं समस्त स.ले, संयुक्त निदेशक (जोन)

9.	बकाया पेन्शन प्रकरण	वित्तीय सलाहकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रपत्र 1, 4 एवं 8 की सूचनाएं समय पर प्रस्तुत की जावे तथा समस्त बकाया पेन्शन प्रकरणों की समीक्षा की जाकर उनका यथाशीघ्र निस्तारण कराया जावें। यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त सूचना हार्ड कॉपी के साथ सीडी पर भी लायी जावें।	अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/अराजपत्रित) मुख्यालय। समस्त सहायक लेखाधिकारी कार्या. मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक जोन।
10.	बजट	1. जिन आहरण वितरण अधिकारियों के माह जनवरी 2010 तक के व्यय विवरण प्रपत्र तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 के अन्तिम आधिक्य/बचत विवरण प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए है (सूची परिशिष्ट–'अ' तथा 'ब' पर सलंग्न हैं) उनके नाम का उल्लेख कर निर्देशित किया कि 2 या 3 दिवस में व्यय विवरण प्रपत्र तथा अन्तिम आधिक्य/बचत विवरण प्रपत्र भिजवाना सुनिश्चित करें। 2. विभागीय पत्र क्रमांक एफ4( )लेखा/बजट प्लान/09/ 9196 दिनांक 18/01/10 के द्वारा बजट मद 2210–03–101–01 (आयोजना व्यय) में आवंटित बजट में से कार्यालय व्यय एवं वर्दियों के लिए आवंटित बजट राशि का उपयोग नहीं किया जावे तथा आयोजना व्यय मद हेतु उक्त पत्र के अनुसार तथा अन्य बजट आवंटन पत्रों के माध्यम से आवंटित समस्त राशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष 2009–10 में ही किया जाना सुनिश्चित करें। 3. 9 जिलों के आई.सी.यू. यूनिट, 18 जिलों में ट्रोमा यूनिट, 18 जिलों में पुनर्वास केन्द्र एवं 24 जिला मुख्यालयों पर बर्न यूनिट हेतु METP के मद में PMO's को बजट आवंटन किया गया है सभी Zones के सहायक लेखाधिकारियों को अपने–अपने जोन के अधीन प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को उनको आवंटित राशि के उपयोग करने बाबत सुनिचिश्तता करें तथा मोनिटरिंग करें। 4. किसी भी बजट मद में आवंटित बजट राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो फरवरी माह के अन्तिम सप्ताह में अवश्य ही राशि समर्पित कर दी जावे। समर्पित करने का पत्र फैक्स से तथा डाक से भी भिजवायें। श्री जी.एल. शर्मा, वरि. लेखा. (बजट) मो.न. 9829214838 श्री एल.एन गुप्ता, सहा. लेखा. (बजट)मो.न. 9314546519 5. भिवाड़ी, तिजारा एवं हिण्डौन की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शैय्याएं वृद्धि हेतु आवश्यक बजट आवंटन किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर एवं करौली के सहायक लेखाधिकारी इस राशि का उपयोगी सुनिश्चित करें।	समस्त सहायक लेखाधिकारी कार्या. मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी एवं समस्त संयुक्त निदेशक जोन, समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
11.	अन्य बिन्दू	1. वित्तीय सलाहकार द्वारा निर्देशित किया गया कि अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थापित लेखाकर्मियों का यह दायित्व है कि उनके कार्यालयों में यदि कोई अनियमितता अथवा नियम विरूद्ध कार्य हो रहा है तो संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के ध्यान में उक्त तथ्य लाये जावें तथा साथ ही वित्तीय सलाहकार को भी सूचित किया जावें। इसी प्रकार यदि कार्यालयाध्यक्षों द्वारा लेखाकर्मियों से उनके दायित्वों के अनुरूप कार्य नहीं	

		कराया जा रहा है तो भी सम्बन्धित लेखाकर्मी द्वारा वित्तीय सलाहकार को सूचित किया जावें। भविष्य में किसी कार्यालय में कोई गम्भीर वित्तीय अनियमितता अथवा नियमों की अवहेलना पाये जाने पर सम्बन्धित लेखाकर्मी भी उत्तरदायी होंगे। 2. ऐसे कार्यालय जिनसे संबंधित पांच या अधिक प्रतिवेदन जिनकी प्रथम अनुपालना बकाया है के सम्बन्ध में संबंधित सहायक लेखाधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। इसी प्रकार अधीनस्थ कार्यालय विशेष के पांच या अधिक प्रतिवेदन जिनकी प्रथम अनुपालना बकाया है के लिए सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी पर्यवेक्षणीय उदासीनता हेतु उत्तरदायी होंगे। वित्तीय सलाहकार द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसे कार्यालयों की सूची बनाई जाकर सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारियों के स्पष्टीकरण प्राप्त किये जावें। 3. अंकेक्षण मामलों के निस्तारण के सम्बन्ध में वित्तीय सलाहकार द्वारा निर्देशित किया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समान प्रकृति के पैराज की निरन्तर पुनर्रावृति हो रही है। इस तरह के बकाया पैराज के सम्बन्ध में समीक्षा की जाकर ठोस अनुपालना प्रस्तुत की जावे एवं अनियमितताओं की पुनर्रावृति रोके जाने की समुचित व्यवस्था की जावें।	

आगामी मासिक बैठक दिनांक 12/03/2010 को 11 बजे "मध्यान्ह-पूर्व" आयोजित की जावेगी।
बैठक का वरिष्ठ लेखाधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापित कर समापन किया।

(हरीश कुमार [illegible])
वरिष्ठ लेखाधिकारी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
फोन नं. 0141-2221965

क्रमांक :लेखा/बैठक/09/ 12609 दिनांक : 2.3.10

प्रतिलिपी निम्नांकिल को सूचनार्थएवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/अराजपत्रित), मुख्यालय।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन ।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ।
4. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा.)/परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय, जयपुर।
6. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/मुख्य लेखाधिकारी, परिवार कल्याण/मुख्य लेखाधिकारी, आर.एच.एस.डी.पी./मुख्य लेखाधिकारी एवं सचिव, भण्डार क्रयण संगठन/वरिष्ठ लेखाधिकारी, आई.ई.सी. मुख्यालय।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, मुख्यालय।
8. डॉ. एस. के. मोहनपुरिया, भण्डार अधिकारी, मुख्यालय (मुख्यालय स्थिति वाहन एवं भण्डार सामग्री के निस्तारण बाबत)
9. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन ।
10. समस्त सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला ।
11. सहायक लेखाधिकारी, बजट/आन्तरिक जांच/महालेखाकार, मुख्यालय, जयपुर।
12. प्रभारी, सर्वर, कृपया इस कार्यवाही विवरण को विभाग की वेब-साइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
13. केयर टेकर, (कृपया दिनांक 12/03/2010 को प्रातः 11.00 बजे से हॉल से आरक्षित करें।)
14. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ लेखाधिकारी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट–'ब'

उन कार्यालयों की सूची जिनका अन्तिम आधिक्य/बचत विवरण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है

S.No.	Name of Offices
	CMHO's
1	Alwar
2	Chittorgarh
3	Dausa
4	Jaisalmer
5	Kota
6	JD Jodhpur
	ADC
7	Ajmer
8	Banswara
9	Bharatpur
10	Jodhpur
11	Kota
12	S. Madhopur
13	Sikar
	PMO's
14	Bundi
15	Dungarpur
16	HBK Kanwatia Hosp. Jaipur
17	Jaipuriya Hosp. Jaipur
18	Sat. Sethi Colony, Jaipur
19	Jaisalmer
20	Pratapgarh
21	Raisamand
22	Balotara (Barmer)
23	Nathdwara (Raisamand)
	MOIC Sate. Hospital
24	Shahpura (Bhilwara)
25	Hiranmagri (Udaipur)
	MOIC Govt. Hospital
26	Khetri Jhunjhunu
27	Kuchamancity
28	Ladnu
29	Mandalgarh
30	Parbatsar
	Suptd. AGHS
31	Bikaner
32	Jaipur
33	Udaipur
34	Principal Heerabagh Jaipur
35	Diploma in Pharmacy
	MOIC T.B. Clinic
36	Alwar
37	Beawar
38	Bhilwara
39	Bundi
40	Chittorgarh
41	Dausa
42	Dungarpur
43	Hanumangarh
44	Jaipur-I
45	Jaipur-II
46	Jaisalmer
47	Jalore
48	Jhalawar
49	Jhunjhunu
50	Jodhpur
51	Kota
52	Nagaur
53	Pali
54	Raisamand
55	S. Madhopur
56	Sikar
57	Sirohi
58	KNTBDTC, Ajmer
	District Leprocy Officer
59	Baran
60	Jaipur
61	Jodhpur
	Leprocy Control Unit
62	Bundi
63	Kota
64	Udaipur

दिनांक 19.2.2010 की मीटिंग में उपस्थित अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति सूचना

कृपया पूरा नाम व पद स्पष्ट शब्दों में लिखें।

S.N.	Name of office CM,H.O	अधिकारी / कर्मचारी के पूर्ण हस्ताक्षर व पद	मोबाइल नम्बर
1	Ajmer	शिवरतन चौहान AAO	9829292139
2.	Alwar	रामबाबू गुप्ता कार्य०	9413306596
3.	Basnwara	जगदीश चन्द्र भावसार AAO	9414307100
4.	Baran	[illegible] L.D.C	9413432833
5.	Barmer		
6.	Bharatpur	[illegible] AAO [illegible] Jr Acctt.	9414714464
7.	Bhilwara	[illegible] AAO	9214631670
8.	Bikaner	[illegible] AAO	9829619028
9.	Bundi	[illegible] AAO	9414406338
10	Cittorgarh		
11	Dausa	राजेन्द्र प्रसाद जैन AAO	9414273477
12	Dholpur	~~Karan Singh Rey~~ S.C. Gautam	~~9414323790~~ 9785927878
13.	Dungarpur	Karan Singh Rev. AAO	9414323790
14.	Hanuman garh	Manohar lal Joshi AAO	9462808665
15	Jaipur - I	Udai Bhan Jain	9414306696
16	Jaipur - II	Ravi Prakash Sharma	8094017006
17	Jaisalmer		
18	Jalor	[illegible]	9799493232
19	Jhalawar	shyam lal meena Accountant	9928462032
20	Jhunjhnu	[illegible] AAO	9413711026
21	Jodhpur	[illegible]	संयुक्त निदेशक जोन जोधपुर 94145-78062
22	Kota		
23	Naugor	भंवर लाल [illegible] AAO	9252846669
24	Karauli	Mahesh chand Gupta	9887453489
25	Pali	[illegible] A.AO	9413143160
26	Pratap garh	[illegible] UDC	9460712051
27	Raj samad	M. [illegible] AAO	9460612243
28	Ratangarh ([illegible])	ओमप्रकाश चौधरी सहा०	93527-15688
29.	Sawai Madhopur	Kamlesh Agrawal AAO	9413023916
30	Ganga Nagar	[illegible]	[illegible]

S N.	Name of office CMHO.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पद	मोबाईल नम्बर
31	Sikar	P.C. Saini AAO	9461940309
32.	Sirohi		
33	Tonk	नारायण अग्रवाल AAO	941486891/
34	Udaipur CMHO	जयशंकर मीणा ~~अरुण कुमार नागर~~	9413174655 ~~9460253248~~
1.	J.D. Jaipur	Navrang Lal Singrodia AAO	9828549874
2.	J.D. Jodhpur		
3.	J.D. Ajmer	D.C. Arora A.A.O.	94138-69006
4.	J.D. Udaipur	अरुण कुमार नागर	9460253774
5.	J.D. Bikaner		
6.	J.D. Kota		
7.	J.D. Bharatpur	योगेन्द्र कुमार जैन AAO 19/2	9414320526